कार्यालय उप वन संरक्षक, झुंझुनूं

क्रमांक :–एफ( )सर्वे / उवसझु / 2017 / दिनांकः–

निमितः–

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, (एफ.सी.ए.)
राजस्थान–जयपुर।

विषयः–एन.आर.एस.एस. XXXVI ट्रांसमिशन लाईन लिमिटेड बबाई से भिवानी 400 के. वी. / सी लाईन में आपके कार्यालय द्वारा डाली गयी टिप्पणियों की पूर्ति कर भिजवाने बाबत।

संदर्भः–आपके कार्यालय द्वारा डाली गयी ई.डी.एस–I दिनांक 14.02.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में डाली गयी टिप्पणियों की पूर्ति निम्नानुसार की जाकर प्रेषित हैः–

1. प्रस्ताव के पार्ट–I के बिन्दु संख्या डी में युजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के औचित्यता के साथ वैकल्पिक मार्गो की के.एम.एल. फाईल संलग्न है।
2. प्रस्ताव के पार्ट–I के बिन्दु के में वनाधिकार प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है तथा जिलास्तरीय समिति में वनाधिकार के पात्र नहीं होने संबंधित स्थिती बैठक कार्यवाही विवरण एवं एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र में स्पष्ट है।
3. ट्रांसमिशन लाईन के अन्दर बताये गये सभी 43 वृक्षों का पातन किया जावेगा।
4. प्रस्ताव में आ रही भूमि 7.452 हैक्टर जो बांसियाल–खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व का हिस्सा है मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से टिप्पणी लेने हेतु युजर एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव ऑन लाईन सबमिट कर दिये गये है। (प्रति संलग्न है)
5. स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वन भूमि व दिनांक दी हुई है पुनः संलग्न है।
6. प्रस्तावित वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन संलग्न प्रेषित है।
7. इस कार्यालय से प्रेषित वृक्षारोपण योजना दुगुने अवनत वन क्षेत्र 26.10 हैक्टर के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की ही योजना है जिसमें सहवन से दण्डात्मक क्षतिपूर्ति लिख दिया गया था जो कि राज्य सरकार के पत्रांक प.1(357)वन / 1997–पार्ट जयपुर, दिनांक 13.01.2017 के अनुसार ही है।
8. ट्रांसमिशन लाईन के नीचे औषधीय पौधों की वृक्षारोपण योजना संलग्न प्रेषित है जो कि निर्धारित मॉडल के अनुसार है।
9. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना की जी.टी. शीट निर्धारित स्केल 1.50000 पर संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आर.एन.मीना)
उप वन संरक्षक
झुन्झुनूं